न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/506

01. करम चन्द पुत्र तुही राम यादव उम्र 62 वर्ष,

02. हरीशचन्द पुत्र तुही राम यादव उम्र 59 वर्ष, निवासी अहीर बाडा, रविदास मंदिर के पास, बादशाहपुर, दरवरिपुर 162, गुडगॉव, हरियाणा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

01. अंगुरी देवी पुत्री स्व. श्री रामशरण पत्नी श्री परिछत सिंह,

02. सुरेश उर्फ सुरस्ती पुत्री स्व. श्री रामशरण पत्नि श्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर हाल आबाद ग्राम बहाला तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

03. सुरजी देवी पुत्री रामशरण पत्नि रणसिंह,

04. कमला पुत्री स्व. श्री रामशरण पत्नि जगरूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर हाल आबाद ग्राम कोका अहरी, जिला झज्जर, हरियाणा।

05. जगदीश,

06. भोलू पुत्रान स्व. श्री रामशरण जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकड़ा जिला अलवर।

07. विधा देवी पत्नि स्व. श्री रामशरण जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकड़ा जिला अलवर।

08. सरपंच, ग्राम पंचायत महेशरा पूर्व तहसील तिजारा, हाल तहसील टपूकडा, जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/518

01. दीवानचन्द पुत्र नवलसिंह उम्र करीब 32 साल, जाति अहीर, निवासी ग्राम रावडका, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

01. अंगुरी देवी पुत्री स्व. श्री रामशरण पत्नी श्री परिछत सिंह,

02. सुरेश उर्फ सुरस्ती पुत्री स्व. श्री रामशरण पत्नि श्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर हाल आबाद ग्राम बहाला तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

03. सुरजी देवी पुत्री रामशरण पत्नि रणसिंह,

04. कमला पुत्री स्व. श्री रामशरण पत्नि जगरूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर हाल आबाद ग्राम कोका अहरी, जिला झज्जर, हरियाणा।

05. जगदीश,

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

06. भोलू पुत्रान स्व. श्री रामशरण जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकड़ा जिला अलवर।

07. विधा देंवी पत्नि स्व. श्री रामशरण जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकड़ा जिला अलवर।

—**—असल** रेस्पोडेन्ट्स

08. सरपंच, ग्राम पंचायत महेशरा पूर्व तहसील तिजारा, हाल तहसील टपूकडा, जिला अलवर।

09. कर्मचन्द पुत्र तुहीराम, जाति अहीर,

10. हरीश चन्द पुत्र तुहीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम अहीरवाडा रविदास मन्दिर के पास, बादशाहपुर, जिला गुडगांव, हरियाणा।

—**—तरतीबी** रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022 / 664

01. जयसिंह पिसर चन्द्र चन्द्रलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम मानेसर तहसील व जिला गुरूग्राम (गुडगांव) हरियाणा।

02. बबली पिसर चन्द्रलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मानेसर, तहसील व जिला गुरूग्राम (गुडगांव) हरियाणा।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. अंगुरी देवी पुत्री स्व. श्री रामशरण पत्नी श्री परिछत सिंह,

02. सुरेश उर्फ सुरस्ती पुत्री स्व. श्री रामशरण पत्नि श्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर हाल आबाद ग्राम बहाला तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

03. सुरजी देवी पुत्री रामशरण पत्नि रणसिंह,

04. कमला पुत्री स्व. श्री रामशरण पत्नि जगरूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर हाल आबाद ग्राम कोका अहरी, जिला झज्जर, हरियाणा।

05. जगदीश,

06. भोलू पुत्रान स्व. श्री रामशरण जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकड़ा जिला अलवर।

07. विधा देवी पत्नि स्व. श्री रामशरण जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा पूर्व तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकड़ा जिला अलवर।

08. सरपंच, ग्राम पंचायत महेशरा पूर्व तहसील तिजारा, हाल तहसील टपूकडा, जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री हरिप्रसाद जांगिड़ एडवोकेट अपीलार्थी करमचन्द व हरीशचन्द्र की ओर से**
2. **श्री विजय सिंह राठौड एडवोकेट अपीलार्थी दीवानचन्द एवं जयसिंह व बबली की ओर से**
3. **श्री संजय शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से**

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांकः 18.07.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह तीनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई तथा तीनों अपीलों की विषयवस्तु एवं आराजी एक ही होने से तीनों अपीलों की सुनवाई एकसाथ की गई एवं एकसाथ निर्णय किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की माता श्रीमति विधा देवी के द्वारा अपने पति रामशरण की मृत्यु हो जाने के पश्चात् अपने व अपने दोनों पुत्रों के नाम से उक्त इन्तकाल सं0 24 विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाकर स्वीकार किया था। चूँकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 अपने पिता के जीवनकाल में शादियां करके अपने ससुराल चली गई व उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् इन्तकाल के दर्ज किये जाने के वक्त, इन्तकाल खोले जाने से पूर्व सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कोरम के समक्ष उक्त इंतकाल को दर्ज करने की कार्यवाही विधिक रूप से अमल में लायी गयी थी व पटवारी द्वारा इस अपील में अंकित उक्त रेस्पोडेन्टस को इसकी जानकारी दी गई जिसमें रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपनी मॉ विधा देवी व भाई जगदीश व भोलू के नाम इन्तकाल स्वीकार कर दर्ज करने में अपनी स्वीकृति दी गई थी। जिस पर उक्त इन्तकाल सं0 24 दिनांक 15.09.1977 को दर्ज किया जाकर दिनांक 26.09.1977 को स्वीकार किया।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि उक्त इन्तकाल दर्ज हो जाने के बाद रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 7 ने अपने पति व पिता के अचानक मृत्यु हो जाने के कारण आपस में सहमति करते हुए उक्त आराजी खसरा नम्बर नं0 8 को तो रेस्पोडेन्ट सं0 5 लगायत 7 के नाम दर्ज करवा दिया व इससे पूर्व रामशरण के सभी वारिसान ने आपसी सहमति से रामशरण की विरासत की अन्य भूमि जो कि ग्राम महेशरा पंचायत महेशरा में स्थित आराजी कृषि भूमि जिसका विरासत का इंतकाल सं0 63 दर्ज दिनांक 12.09.1977 व स्वीकार दिनांक 13.09.1977 को करवाया गया, जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 ने अपना हिस्सा ले लिया व इसी प्रकार रामशरण की अन्य कृषि भूमि विरासत इंतकाल सं0 261 दर्ज दिनांक 10.06.1985 व स्वीकार दिनांक 30.07.1985 को रामशरण के उपरोक्त सभी सातों विधिक वारिसान क्रमशः माता विधा, भाई जगदीश, भोलू व बहिनें सुरजाबाई, कमला, सुरेश उर्फ सुरस्ती तथा अंगूरी के नाम दर्ज व स्वीकार करवाया, जिसमें उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 ने अपने हक व अधिकार की कृषि भूमि में अपने हिस्सा ले लिया। जिसके बाद रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 की सहमति से रामशरण की विरासत का इन्तकाल अपने नाम से खुल जाने के बाद उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनाम के बैचान कर दिया व अपीलान्ट्स को कब्जा मौके पर संम्भला दिया तथा वक्त भूमि खरीद से आज दिनांक तक अपीलार्थीगण करमचन्द,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

हरीशचन्द्र पुत्रान तुहीराम, जयसिंह, बबली पि. चन्द्रलाल, एवं दीवानचन्द पुत्र नवलसिंह अपनी–अपनी उक्त खरीदशुदा आराजी पर काबिज है व काश्त कर रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त बैचाननामा के आधार पर करमचन्द, हरीशचन्द पुत्र तुहीराम अपीलान्ट के नाम से दिनांक 26.08.2006 को इन्तकाल सं0 157 दर्ज कर दिनांक 08.09.2006 को स्वीकार किया गया। इसी प्रकार जयसिंह बबली पि. चन्द्रलाल के नाम बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 30.05.2000 एवं दीवान चन्द पुत्र नवलसिंह के नाम बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 443 दिनांक 29.11.2020 को स्वीकार होकर अपीलान्ट के नाम राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज हो गये उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद लगभग 45 साल के बाद एक अपील दिनांक 13.07.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें रेस्पोडेन्टस ने हम अपीलार्थीगण को पक्षकार ही नहीं बनाया। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उसकी आदेशिका को देखने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अपील में कभी भी नोटिस ना तो पेश किये गये और ना ही कभी जारी किये गये। जिससे कभी भी कोई अन्य रेस्पोडेन्ट को बिना तामिल के ही उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 को पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय नॉनस्पीकिंग निर्णय है तथा निर्णय पारित करते समय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक और न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया गया क्योंकि उक्त निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का ना तो ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और ना ही उसका कही अपने निर्णय में अंकन किया जिससे अपीलाधीन निर्णय शुरू से ही अशुद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त अपील 45 साल बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें ना तो 45 वर्षो के मियाद बाहर होने का कोई स्पष्ट और सतोषजनक कारण ही अंकित नही किया गया उसके बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त अपील बिना मियाद में लिए किस आधार पर सुनवाई कर स्वीकार की गई का कारण स्पष्ट नहीं होने से भी अपीलाधीन निर्णय स्वतः ही निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की तीनों अपीलों के तथ्यों के मद्देनजर तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 को निरस्त फरमाया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 26.09.1977 को पुनः बहाल किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 24 ग्राम कर्मसीवास दिनांक 26.09.1977 को रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 ने के हक में स्वीकार कराया है जो तथ्यों और कानून के विपरित मनमाने तथ्यों के आधार पर स्वीकार हुआ है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1

P.T.O.

लगायत 4 वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रामशरण की जाईन्दा पुत्रीया है जो खातेदार काश्तकार की प्रथम श्रेणी की वारिसान है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 अपने पिता रामशरण की मृत्यु से विरासत से मिली आराजी पर काबिज व दाखिल होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रही है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के भाई जो परिवार के कर्ताधर्ता थे। जिन्होने पिता की विरासत का नामान्तरकरण सभी वारिसान के नाम बराबर-बराबर दर्ज कराने का आश्वासन दिया था किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के भाईयों ने सरपंच से साज-बाज होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के हक, हकूकों को जायल करने की गरज से विवादित नामान्तरकरण संख्या 24 दर्ज दिनांक 15.09.1977 व स्वीकार दिनांक 26.09.1977 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को बिना कोई नोटिस दिये व बिना कोई सूचना दिये एकपक्षीय रूप से स्वीकार कराया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 भोली-भाली ग्रामीण परिवेश की महिलाऐं है जिनको कानून कायदे की कतई जानकारी नही है, इसलिये विवादित नामान्तरकरण के गलत तरीके से दर्ज व स्वीकार होने बाबत पूर्व में कोई जानकारी नही थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 उक्त विवादित नामान्तरकरण में दर्ज आराजी में अपने-अपने भाग की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चली आ रही थी। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को अपनी परिवारिक आवश्यकता के लिए रकम की जरूरत थी। जिस कारण अंपने पिता से विरासत में मिली आराजी पर बैंक से लोन लेने की जरूरत हुई तो उन्होने उक्त आराजी की जमाबन्दी निकलवाने पर पटवारी हल्का ने उन्हे बताया कि तुम्हारा नाम तो जमाबन्दी में नही है। जिस पर कानूनी राय मशवरा कर उक्त विवादित नामान्तरकरण सख्या 24 की नकल व पिता की जमीन की जमाबन्दी व नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की और कानूनी राय मशवरा किया तो गलत अंकन की जानकारी सामने आई। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने नामान्तरकरण संख्या 24 को दुरूस्त कराने का निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 गुस्से में आ गये और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के साथ अभद्र व्यवहार कर विवादित नामान्तरकरण को दुरूस्त कराने से मना कर दिया व विवादित आराजी को किसी दीगर जगह बेचान कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल करने की धमकी दी। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई थी। जिस अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर एवं कानूनी परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थीगण की तीनों खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के

सद्‌भाविक क्रेतागण है जिससे अपीलार्थीगण हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाते है। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी जयसिंह पुत्र चन्द्रलाल के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी जयसिंह पुत्र चन्द्रलाल का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाता है तथा उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा गया तत्पश्चात् अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण भी स्वीकार हुऐ है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद भी रहे है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 42 पर अपीलार्थी जयसिंह के नाम नामान्तरकरण संख्या 102 की पत्रित छाया प्रति से व अन्य पृष्ठ संख्या 43 व 44 पर भी पत्रित अन्य नामान्तरकरणों की छाया प्रतियों से होती है। ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त आराजी के बैचान होने का तथ्य अधीस्थ न्यायालय के समक्ष आ जाने के पश्चात् यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा क्रेतागण को प्रकरण में पक्षकार नही भी बनाया है तो भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी के क्रेतागण को स्वविवेक (सुमोटो) से प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर व उनकी सुनवाई के पश्चात् प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किया गया है न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, व दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर करण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/7/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त
जयपुर